

## भारत में राजनैतिक भ्रष्टाचार, समावेशी एवं सतत विकास

**1डॉ अरविन्द कुमार शुक्ल**

**1असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, राजकीय महिला स्नातकोत्तर एवं महाविद्यालय, बिन्दकी, फतेहपुर उत्तर प्रदेश।**

Received: 08 May 2019, Accepted: 11 May 2019 ; Published on line: 15 May 2019

### **Abstract**

आज भारत में भ्रष्टाचार अपनी जड़ें फैला रहा है और इसके कई रूप हैं, जैसे रिश्वत, काला—बाजारी, जान—बूझ कर दाम बढ़ाना, पैसा लेकर काम करना, सरकार सामान लाकर महंगा बेचना आदि। समस्या यह है कि अब भ्रष्टाचार हमारी आदत में शामिल हो गया है। भारत में भ्रष्टाचार को लेकर ट्रांसपरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में देश को नंबर-1 बताया गया है।

**शब्द संक्षेप—** भारत में राजनैतिक भ्रष्टाचार, समावेशी, सतत विकास, साझा विकास एवं गरीब समर्थक विकास।

### **Introduction**

भ्रष्टाचार एक ऐसी समस्या है, जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। सरकार भले कालेधन और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त हो, लेकिन देश में अब भी लोग अपना काम कराने के लिए रिश्वत देने को मजबूर हैं। यह खुलासा भ्रष्टाचार पर निगाह रखने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था ट्रांसपरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा भ्रष्टाचार खत्म करने के दावों के बावजूद स्थिति जस की तस बनी हुई है।

रिपोर्ट के मुताबिक भारत में करीब उन्नतालीस प्रतिशत लोगों को अपना काम कराने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। यह एशिया में रिश्वत की सबसे ऊँची दर है। सेंतीस प्रतिशत के साथ कंबोडिया दूसरे और तीस प्रतिशत के साथ इंडोनेशिया तीसरे नंबर पर है। नेपाल में यह दर बारह प्रतिशत, बांग्लादेश में चौबीस और चीन में अट्टाईस प्रतिशत पाई गई। एशिया में सबसे ईमानदार देशों के बारे में बात करें तो मालदीव और जापान में सिर्फ दो प्रतिशत लोग मानते हैं कि उन्हें रिश्वत देनी पड़ी। तीसरे नंबर पर दक्षिण कोरिया है। इस हिसाब से घूसखोरी के मामले में भारत एशिया में अब्ल है।

समावेशी विकास का मतलब मूल रूप से “व्यापक – आधारित विकास, साझा विकास और गरीब – समर्थक विकास” है। आर्थिक नीति में एक दृष्टिकोण के रूप में, यह माना जाता है कि किसी देश में गरीबी की तीव्र विकास दर में जब कमी आती है तो उस देश की विकास प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी बढ़ जाती है। समावेशी विकास में हर वर्ग का विशेष ध्यान रखा जाए नीति निर्माण में सभी सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो एवं के कल्याण की बात की जाए एवं प्राकृतिक संसाधनों का न्याय पूर्ण दोहन शामिल हो।

सतत विकास का अर्थ यह है कि आर्थिक विकास की दर को बढ़ाने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग न करके पर्यावरण और परिस्थितिकी के बचाव को ध्यान में रखकर प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाना चाहिए जिससे भावी पीढ़ी के लिए, प्राकृतिक संसाधनों की उत्पादन शक्ति को बचाए रखा जा सके। यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग न करके विकास कैसे हो सकता है? मानव की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए बहसे हुई जिसमें यह निर्णय लिया गया कि मानव जाति की समकालीन समाज की चुनौतियों का सामना करने के लिए प्राकृतिक संसाधन सहायक है। विकास के साथ-साथ जनसंख्या, आर्थिक वृद्धि, पैंजी तथा प्रौद्योगिकी उत्पादन में वृद्धि होती है। लेकिन माँगों में बढ़ोतरी का आधार प्राकृतिक संसाधन है और प्राकृतिक संसाधन पर्यावरण पर आधारित होता है जो कि विकास में सहायक है। प्राचीन काल से ही मनुष्य ने अपनी विलासिता के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दुरुपयोग किया। मनुष्य के इस कृत्य ने प्राकृतिक संतुलन को बिगड़ दिया। जैसे-जैसे मानव पर जनसंख्या का दबाव बढ़ता गया, मानव जाति ने अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए अधिक से अधिक प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण किया जिसके परिणामस्वरूप पर्यावरण का सीमित उपयोग नहीं हो पा रहा है और गंभीर समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं जो मानव जीवन के अस्तित्व के लिए गंभीर चुनौती हैं।

आज वर्तमान समय में मानव जाति ने पर्यावरण को स्वयं ही नष्ट किया है जिसके कारण आज वह संकटों के चक्रव्यूह से घिरा है। मानव बिना चेतना, बिना विचारपूर्वक और बिना संगठन के पर्यावरण का अधिक से अधिक दोहन कर रहा है। नीतियों एवं कार्यक्रमों को बनाने के उद्देश्य से विकासवादी अर्थशास्त्रियों ने सतत या वहनीय विकास की अवधारणा को विभिन्न अन्तर्सम्बंधित घटकों में विभाजित किया है। नीति और कार्यक्रमों का पूर्णरूपेण परिणाम विकास होता है।

अतः कहा जाता है कि उद्देश्य पूर्ण नीति विकास में सहायक होती है। जब हम सतत विकास के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं तो कोई इस बात से परहेज नहीं कर सकता कि सतत विकास एक ऐसा विकास है जिसमें संसाधनों के समुचित प्रयोग पर जोर दिया जाता है। सतत विकास के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण पर विशेष रूप ध्यान दिया जाता है।

वर्तमान समय में भ्रष्टाचार पर बहस अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसकी व्यापकता और प्रभाव से आम जनजीवन गहरे अर्थों में प्रभावित हो रहा है। व्यापक अर्थों में भ्रष्ट आचरण करना ही भ्रष्टाचार है। चाहे वह जीवन के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक किसी भी क्षेत्र में किया जाये। समाज में उच्च-निम्न का जातीय वर्गीकरण करते हुए भेदभाव पूर्ण आचरण करना सामाजिक भ्रष्टाचार है। जिस पर परम्परा और संस्कृति का छन्द आवरण चढ़ाकर वैधता प्रदान करने की कोशिशें सदियों से की गयी हैं। राजनैतिक भ्रष्टाचार लोक सेवकों द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति असम्मान प्रकट करते हुए जनता को मात्र मतदाताओं में तब्दील करना है। लोकतांत्रिक निर्वाचन की प्रक्रिया में विकास और राष्ट्र सेवा के मुद्दों को हाशिये पर डालकर जनता को जाति, धर्म, भाषा प्रान्तवाद में बांट देना राजनैतिक भ्रष्टाचार के ज्वलन्त उदाहरण है।

दरअसल भारतीय लोक तांत्रिक समाज में जो भी भ्रष्टाचार व्याप्त है। उसकी मूल जड़े भारतीय सामाजिक व्यवस्था की प्रणाली में ही निहित है यदि हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का अवलोकन करें तो पायेंगे कि सदैव से ही सामजिक व्यवस्था के शीर्ष पर बैठे शासकों द्वारा अपने ही भाई, बंधुओं द्वारा किये भ्रष्टाचारों को सदैव से ही वैधता का आवरण प्रदान किया गया जो आज तक भी नहीं बदला है। इसीलिए भारतीय समाज में जो भी भ्रष्टाचार है। सजा से बच निकलता है।

हाल ही में राजनेताओं द्वारा किये गये आर्थिक घोटालों में सभी में देर सवेरे असली भ्रष्टाचारी बच ही निकलेंगे और ऐसे भ्रष्टाचार का प्रभाव समावेशी विकास पर पड़ता है। जिसके कारण देश की आजादी के इतने वर्षों बाद भी लगभग 50 प्रतिशत आबादी गरीबी का जीवन जीने को मजबूर है और जब-जब इस शोषित वंचित समाज में लोगों द्वारा अपनी बुनियादी आवश्यकताओं के लिए संघर्ष किया गया, तब-तब सत्ताशीर्ष पर बैठे शासकों ने एक नये नारे के साथ उनके प्रतिरोध को कम किया है। ऐसी ही अवधारणा का नया नाम समावेशी विकास एवं सतत विकास है।

अतः वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, हमारा उद्देश्य भ्रष्टाचार, समावेशी विकास एवं सतत विकास के मूल कारणों को जानकर समाधान का होना चाहिए। क्योंकि अब समय आ गया है जब हम सब मिलकर इसकी मूल जड़ को ही खत्म करने का प्रयास करें।

### संदर्भ सूची

1. चंदन मित्रा, भ्रष्ट समाज, किताब घर प्रकाशन, अंसारी रोड, नई दिल्ली, 2010, पृ०सं0—18
2. देव प्रकाश चौधरी, लोकनायक अन्ना हज़ारे ओर जन लोकपाल बिल, नई दिल्ली, हिन्द पाकेट बुक्स ,जोर बागलेन, 2011पृ०सं0—69.74
3. प्रतियोगिता दर्पण, उपकार प्रकाशन, आगरा जुलाई 2006 पृष्ठ 2284, 85, 86 जनवरी—2008 पृष्ठ—1047, 48, 49, 50 फरवरी—2007 पृष्ठ—12476
4. भारत 2012, प्रकाशन विभाग सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय नई दिल्ली पृष्ठ 354, 55, 577
5. भारत 2013, प्रकाशन विभाग सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय नई दिल्ली पृष्ठ 254, 55, 578
6. दैनिक जागरण, 04 —01—2018, कानपुर संस्करण
7. अमर उजाला,04—02—2019, कानपुर संस्करण
8. हिन्दू 17—02—2013, दिल्ली संस्करण